

# 15

## मानदेय

### विषय सूची

क्र० सं०	विषय	शासनादेश सं० तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	मानदेय की सीमा में वृद्धि	सं०-121 / XXVII(3) / 2005, देहरादून, दिनांक-28 मार्च, 2005	211-212
2	केवल अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को मानदेय की अनुमन्यता	सं०-211 / XXVII(7) / 2006 देहरादून, दिनांक-29 मार्च, 2006	213-214

उत्तरांचल शासन  
वित्त अनुभाग  
स०-१२१ / XXVII(3) / २००५  
देहरादून : दिनांक : २८ मार्च, २००५

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-२, माग-२ से ४ के सहायक नियम-३१ के अन्तर्गत विभागाध्यक्षों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए अनावर्तक मानदेय रु० ३७५.०० (रुपये तीन सौ पचहत्तर) स्वीकृत करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्री राज्यपाल महोदय मानदेय की उक्त दर को तात्कालिक प्रभाव से रु० ३७५.०० से बढ़ाकर रु० ७५०.०० (रुपये सात सौ पचास) किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह मानदेय केवल रु० ६५००-१०५०० के वेतनमान तक के कर्मचारियों/अधिकारियों को ही अनुमन्य होगा।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-२, माग-२ से ४ के सहायक नियम-३१ में संशोधन यथा समय पृथक से किया जायेगा।

राधा रत्नौड़ी,  
सचिव, वित्त।

संख्या १२१(१) / XXVII(३) / २००५ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
२. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
३. महालेखाकार, उत्तरांचल।
४. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
५. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
६. रजिस्ट्रार जनरल, मा० उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
७. रेजिडेन्ट कमिशनर, नई दिल्ली।
८. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
टी०एन० सिंह  
अपर सचिव, वित्त।

उत्तरांचल शासन  
वित्त विभाग  
संख्या—211 / XXVII(7) / 2006  
देहरादून : दिनांक 29 मार्च, 2006

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या—121 / XXVII(3) / 2005, दिनांक 28 मार्च, 2005 के क्रम में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या—जी—1—746 / दस—96—241 / 96, दिनांक 27 फरवरी, 1997 के सन्दर्भ में कि डिसिप्लिनरी कमेटी द्वारा अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव ग्रेड—1 के अतिरिक्त अन्य राजपत्रित अधिकारियों को मानदेय देय नहीं है, स्वतः स्पष्ट है कि मानदेय मात्र अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को ही दिया जाये, जिसमें वेतनमान का आधार नहीं रखा गया है।

(राधा रत्नौड़ी)  
सचिव, वित्त

संख्या—211(1) / XXVII(7) / 2006, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 2— समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 3— महालेखाकार, उत्तरांचल।
- 4— समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 5— समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 6— रजिस्ट्रार जनरल, मा० उच्च न्यायालय उत्तरांचल, नैनीताल।
- 7— रेजिडेन्ट कमिश्नर उत्तरांचल, नई दिल्ली।
- 8— गार्ड फाइल।

आज्ञा  
—०१०—  
(टी०एन० सिंह)  
अपर सचिव, वित्त